



Real Estate Regulatory Authority
Madhya Pradesh

भू-सम्पदा
विनियामक प्राधिकरण
मध्य प्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, मेन रोड नं. 1, भोपाल-462011

प्ररूप "ज"
(नियम 11 (1) देखिए)

रियल एस्टेट अभिकर्ता का पंजीयन प्रमाण-पत्र

अधिनियम की धारा 9 के अधीन

पंजीयन क्रमांक A-IND-22-1104

(किसी व्यक्ति की दशा में) श्री/श्रीमती
पुत्र श्री/श्रीमती
तहसील जिला राज्य

या -

(फर्म/सोसाइटी/कम्पनी की दशा में) **AARNA PROPERTY DEALER, INDORE**

फर्म/सोसाइटी/कम्पनी **98/1/8.shop-6** जिसका पंजीकृत कार्यालय/कारबार का प्रमुख स्थान **ShivRatan complex** स्थित है
को अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के निबन्धनों के अंतर्गत **Lasudia-Moti Ind** राज्य सरकार में पंजीकृत
अचल संपत्ति परियोजना में यथास्थिति किसी भूखण्ड, बहुखण्डीय भवन या भवन के विक्रय या क्रय को सुकर बनाने के लिए रियल एस्टेट अभिकर्ता
के रूप में कार्य करने हेतु यह पंजीयन जिस पर पंजीयन प्रमाणपत्र संख्या **01** से तक है, प्रदान किया जाता है;

निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए यह पंजीयन प्रदान किया जाता है, अर्थात् :-

- (एक) रियल एस्टेट अभिकर्ता किसी ऐसी रियल एस्टेट परियोजना या इसके भाग में, यथास्थिति किसी भूखण्ड, बहुखण्डीय भवन या भवन के विक्रय या क्रय को सुकर नहीं बनाएगा, जो कि ऐसे सम्प्रवर्तक द्वारा बेचा जा रहा है जिसका पंजीयन अपेक्षित है, परन्तु जो विनियामक प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं है;
- (दो) रियल एस्टेट अभिकर्ता ऐसे लेखे, अभिलेख और दस्तावेज संधारित तथा सुरक्षित रखेगा जैसा कि नियम 14 में उपबंधित है;
- (तीन) रियल एस्टेट अभिकर्ता अपने आप को कि अनुचित व्यापार प्रथा में सम्मिलित नहीं करेगा जैसा कि धारा 10 के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट है;
- (चार) रियल एस्टेट अभिकर्ता यथास्थिति किसी भूखण्ड, भूखण्डीय भवन या भवन की बुकिंग और विक्रय के समय आबंटिती और सम्प्रवर्तक को अपने-अपने अधिकारों का प्रयोग करने तथा अपने-अपने दायित्वों को पूरा करने हेतु समर्थ बनाने में सहायता करेगा;
- (पांच) रियल एस्टेट अभिकर्ता अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा;
- (छह) रियल एस्टेट अभिकर्ता क्षेत्र जिसमें परियोजना का विकास किया जा रहा है में तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा;


(सात) रियल एस्टेट अभिकर्ता ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि विनियम द्वारा विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

पंजीयन वर्ष **26-04-22** से प्रारंभ होकर और वर्ष **25-04-27** तक पांच वर्षों के लिए विधिमान्य रहेगा, जब तक कि अन्यथा अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार विनियामक प्राधिकरण द्वारा नवीकृत नहीं कर दिया जाता।

यदि रियल एस्टेट अभिकर्ता द्वारा ऊपर वर्णित शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तो विनियामक प्राधिकरण रियल एस्टेट अभिकर्ता के विरुद्ध आवश्यक कदम उठाएगा जिसमें अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार प्रदान किए गए पंजीयन का प्रतिसंहरण सम्मिलित है।

दिनांक : **26-04-2022**

स्थान : **भोपाल**


रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

कार्यवाही की तारीख, स्थान	आदेश	प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
26.04.2022	<p>आवेदक- AARNA PROPERTY DEALER, 98/1/8, SHOP NO 6 , SHIV RATTAN COMPLAX, LASUDIA MORI, IN FRONT OF LASUDIA POLICE STATION A.B. ROAD, DEWAS NAKA , INDORE पार्टनरशिप फर्म है के द्वारा फर्म को भू-संपदा अभिकर्ता के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसकी रि.आई.डी. क्र. 483833861965 है। आवेदक द्वारा पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क राशि रुपये 50,000/- प्राधिकरण के खाते में जमा होने की पुष्टि लेखा शाखा द्वारा दिनांक 19.04.2022 को की गई है।</p> <p>आवेदक द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 9 एवं मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम 10 के तहत अपेक्षित अभिलेख एवं शपथ पत्र समर्थित घोषणा प्रस्तुत की गई हैं। तकनीकी सलाहकार द्वारा प्रकरण में पंजीयन की अनुशंसा की गई।</p> <p>अतः वांछित औपचारिकताएं पूर्ण होने से पंजीयन हेतु विचाराधीन आवेदन अधिनियम की धारा 9 एवं प्राधिकरण के द्वारा अधिनियम की धारा 81 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर स्वीकार किया जाता है एवं भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 10 एवं म.प्र. भू-संपदा (रेग्युलेशन एण्ड डेवलपमेंट) रूल, 2017 के नियम 11 में विहित प्रावधानों एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन एजेंट के रूप में पंजीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) यह पंजीयन म.प्र. राज्य के लिए है एवं दिनांक 26.04.2022 से 25.04.2027 अर्थात् 5 वर्ष के लिए वैध रहेगा। (2) एजेंट किसी भू-संपदा परियोजना में, यथास्थिति, किसी भू-खंड, अपार्टमेंट या भवन या उसके भाग का, जिसका संप्रवर्तक द्वारा, प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं है एवं जिसका रजिस्ट्रीकरण कराया जाना नियमों में आवश्यक है, विक्रय किया जा रहा है, में विक्रय या कय सुकर नहीं बनाएगा। (3) एजेंट स्वयं को ऐसी किसी अऋजु (Unfair) व्यापार पद्धतियों में संबद्ध नहीं करेगा, अर्थात् - <ol style="list-style-type: none"> (i) (अ) जिससे मिथ्या रूप में यह व्यपदिष्ट (Represent) होता है कि सेवाएं किसी विशिष्ट मानक या श्रेणी की हैं। <ol style="list-style-type: none"> (आ) जिससे यह व्यपदिष्ट होता है कि संप्रवर्तक को या उसको ऐसा अनुमोदन या संबन्धन (Affiliation) प्राप्त है जो कि संप्रवर्तक के या उसके पास नहीं है। (इ) जिससे संबंधित सेवाओं के बारे में मिथ्या या भ्रामक व्यपदेशन होता है। (ii) किसी समाचारपत्र में या अन्यथा उन सेवाओं के बारे में, जिसकी प्रस्थापना (Offer) किया जाना आशयित नहीं है, किसी विज्ञापन के प्रकाशन को अनुज्ञात करने की दृष्टि से, आलिप्त नहीं करेगा। 	निरंतर-2.

::(2)::

पूर्व पृष्ठ से निरंतर.

(रि.आई.डी 483833861965)


AARNA PROPERTY DEALER

- (4) यथास्थिति, किसी भू-खंड, अपार्टमेंट या भवन की बुकिंग के समय ऐसी सभी सूचना और दस्तावेजों, के जिनका आबंटिती हकदार हो, के कब्जे को सुकर बनाएगा।
- (5) एजेंट प्रत्येक संव्यवहार का वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष में 30 अप्रैल तक रेरा की वेब-साइट पर प्रकाशित फॉरमेट क्रमांक-3 में तैयार कर ई-मेल द्वारा एवं प्राधिकरण के पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा।
- (6) एजेंट मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 2017 के नियम 14 के अनुसार इन्कमटैक्स एक्ट, 1961 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुरूप लेखा बही, रिकार्ड एवं अभिलेख तैयार करेगा एवं परिरक्षित रखेगा।
- (7) एजेंट अपने साईनबोर्ड, पत्राचार के लेटर पेड, प्रचार-प्रसार और विज्ञापन करते समय अपने एजेंट पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करेगा।
- (8) एजेंट प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी विनियम, दिशा-निर्देश आदि से विहित अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा।

उपरोक्तानुसार आवेदक/एजेंट का पंजीयन आवेदन स्वीकार किया जाता है। सचिव रेरा, मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 2017 के नियम 11(2) से विहित प्रारूप 'एच' में पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करें। उपरोक्त सभी शर्तें पंजीयन प्रमाण-पत्र का अंग रहेंगी। आदेश की प्रति आवेदक/एजेंट को दी जावे।

M/1307/22
26.04.22

आई.टी. ऑपरेटर/सचिव


सुरेन्द्र सिंह राजपूत
सदस्य



प्रपत्र (ग)

(नियम 3 (3) देखिये)

(मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958)

स्थापना के पंजीयन का प्रमाण पत्र

भाग - क



कार्यालय: District Labour Office, INDORE

(1) पंजीयन क्रमांक: INDO220325SE009414

(2) स्थापना का नाम: AARNA PROPERTY DEALER

(3) स्थापना का (डाक का) पूरा पता: SHOP NO.06, SHIVRATTAN COMPLEX, A.B. ROAD DEWAS NAKA INDORE Dist.- INDORE

(4) स्थापना का कारोबार, व्यापार या व्यवसाय का स्वरूप: Commercial Establishment

(5) मालिक, प्रबंधक, अभिकर्ता (एजेंट) अथवा अन्य कोई व्यक्ति, जिसके अधीन या नियंत्रण में स्थापना का कार्य संचालन होता हो

	नाम	पिता / पति का नाम	पता
मालिक	AMIT KUMAR PAHWA	RAJINDER SINGH PAHWA	F NO.101/6, SLICE -5, SCHEME NO.78, SAHIL TWINS APARTMENTS INDORE
प्रबंधक	NA	NA	NA
अभिकर्ता	NA	-	NA

(6) स्थापना में सेवा नियोजक के रूप में हित रखने वाले अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) यदि कोई हो तो, उनका नाम, पद और राज्य में उसका पूरा पता:

स.क्र.	नाम	पद	पता
1	NA	NA	AN

(7) सेवामुक्तों की कुल संख्या	पुरुष	महिना	योग
पंजीयन शुल्क Rs. 200.00/-	1	0	1

प्रमाणित किया जाता है कि स्थापना जिसका विवरण ऊपर दिया गया है, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 (क्र. सन 1958) के अंतर्गत आज दिनांक 28/Mar/2022 को पंजीयन की गई है।

Signature valid

Digital Signed By RAVINDER SINGH

THAKUR (PERSONAL)

Date : 28-Mar-2022 14:59:49 IST

अधिनियम 1958 के अंतर्गत

वैधानिक / महत्वपूर्ण सूचना

- यह प्रमाण-पत्र दुकान / स्थापना के निरीक्षण / श्रौतिक सत्यापन के बगैर केवल आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी तथा अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है। अतः असत्य जानकारी पाये जाने पर आधिकारिक स्वरूप उतरदायी होगा।
- यह प्रमाण पत्र केवल स्थापना का पंजीयन मात्र है।
- यदि आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी या अपलोड किये गए दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो विभाग द्वारा ऑन-लाईन प्रदत्त पंजीयन रद्द करने तथा आवेदक के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- यह पंजीयन प्रमाण पत्र बैंक ज्ञान / स्वामित्व एवं संपत्ति विवाद / न्यायालय में जमानत / GST पंजीयन प्राप्त करने या अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने पर श्रम विभाग उतरदायी नहीं होगा।
- यह पंजीयन व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है। इस हेतु सख्त प्राधिकारी से पृथक से अनुमति प्राप्त करना होगी।
- यह दस्तावेज डिजिटल इस्ताकारित है, अतः मानव इस्ताकार की कोई आवश्यकता नहीं है।

232189837M3 INDORE

8888888888



UDYAM REGISTRATION CERTIFICATE

Our small hands to
make you LARGE

UDYAM REGISTRATION NUMBER

UDYAM-MP-23-0047158

NAME OF ENTERPRISE

HOTEL S R INDORE

TYPE OF ENTERPRISE *

MICRO (Based on FY 2019-20)

MAJOR ACTIVITY

SERVICES

SOCIAL CATEGORY OF
ENTREPRENEUR

GENERAL

NAME OF UNIT(S)

S.No.	Udyog Aadhaar Memorandum	Unit(s) Name
1	MP23D0060716	Hotel S R Indore
2		AARNA PROPERTY DEALER

OFFICAL ADDRESS OF ENTERPRISE

Flat/Door/Block No.	98/1/8	Name of Premises/ Building	LASUDIA MORI
Village/Town	INFRONT LASUDIA POLICE STATION	Block	98/1/8
Road/Street/Lane	A.B ROAD	City	DEWAS NAKA
State	MADHYA PRADESH	District	INDORE , Pin 453771
Mobile	916500080	Email:	HOTELSRINDORE@GMAIL.COM

DATE OF INCORPORATION /
REGISTRATION OF ENTERPRISE

01/01/2007

DATE OF COMMENCEMENT OF
PRODUCTION/BUSINESS

01/01/2007

NATIONAL INDUSTRY
CLASSIFICATION CODE(S)

SNo.	NIC 2 Digit	NIC 4 Digit	NIC 5 Digit	Activity
1	55 - Accommodation	5510 - Short term accommodation activities	55101 - Hotels and Motels, inns, resorts providing short term lodging facilities; includes accommodation in house boats	Services
2	68 - Real estate activities	6810 - Real estate activities with own or leased property	68100 - Real estate activities with own or leased property	Services

DATE OF UDYAM REGISTRATION

25/03/2022

* In case of graduation (upward/reverse) of status of an enterprise, the benefit of the Government Schemes will be availed as per the provisions of Notification No. S.O. 2119(E) dated 26.06.2020 issued by the M/o MSME.

Disclaimer: This is computer generated statement, no signature required. Printed from <https://udyamregistration.gov.in> & Date of printing - 11/05/2022

For any assistance, you may contact:

1. District Industries Centre: INDORE (MADHYA PRADESH)
2. MSME-DI: INDORE (MADHYA PRADESH)

